



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION



तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001
3rd & 4th Floor, Chanderlok Building, 36 Janpath, New Delhi-110001

विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति

सं. 96 / व्यापार अनुज्ञप्ति / 2022 / केविआ

तारीख 6 जुलाई, 2022

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (जिसे इसके पश्चात् "आयोग" कहा गया है), विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (जिसे इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सैनी पावर ट्रांसेक्टर (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म) (जिसे इसके पश्चात् "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है), जिसका पंजीकृत कार्यालय, एस.सी.ओ: 110, द्वितीय तल, सैक्टर-25, पंचकुला-134116, हरियाणा में है, को विद्युत व्यापारी के रूप में अधिनियम, (विशेषकर उसकी धारा 17 से धारा 22 जिसमें दोनों सम्मिलित हैं), केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा गया) तथा समय-समय पर, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों (जिसे इसके पश्चात् "विनियम" कहा गया है), जिसमें उनके कानूनी संशोधन, परिवर्तन, उपांतरण तथा पुनः अधिनियमिति भी है, में अंतर्विष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस अनुज्ञप्ति के भाग रूप होंगे, संपूर्ण भारत में विद्युत व्यापार करने के लिए प्रवर्ग-'V' के व्यापारी के रूप में अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।

2. यह अनुज्ञप्ति अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के सिवाय हस्तांतरणीय नहीं है।
 3. (1) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना,—
 - (क) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता को क्रय द्वारा या ग्रहण करके अन्यथा अर्जित करने का कोई संव्यवहार नहीं करेगा; या
 - (ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता के साथ विलयन नहीं करेगा।
 - (2) अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी समय, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, विक्रय, पट्टे, विनियम या अन्यथा अपनी अनुज्ञप्ति को समनुदिष्ट नहीं करेगा या अपनी उपयोगिता या उसके किसी भाग का अंतरण नहीं करेगा।
 - (3) उपखंड (1) तथा उपखंड (2) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार से संबंधित कोई करार जब तक कि वह आयोग के पूर्व अनुमोदन से न किया गया हो, शून्य होगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी को यह अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने से आयोग का उसी क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का अंतर-राज्यिक व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार बाधित या निर्बंधित नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी अनन्य रूप से कोई भी दावा नहीं करेगा।

5. अनुज्ञप्ति इसके जारी किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगी और जब तक पहले प्रतिसंहृत नहीं कर ली जाए, इसके जारी किए जाने की तारीख से 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी।
6. अनुज्ञप्तिधारी आयोग को पूर्व सूचना के साथ, इसकी आस्तियों के अनुकूलतम उपयोग हेतु कोई भी कारबार कर सकेगा:
परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के पारेषण के कारबार में नहीं लगेगा।
7. जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी 2 लाख रुपए (केवल दो लाख रुपए) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा और वर्ष के किसी भाग के लिए अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान आनुपातिक आधार पर निकटतम सौ रुपए को पूर्णांकित करके किया जाएगा।
8. अधिनियम की धारा 19 से धारा 22 तक, जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, में अंतर्विष्ट उपबंध अनुज्ञप्तिधारी पर अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण और उसकी उपयोगिता की बिक्री के संबंध में, लागू होंगे।
9. विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में व्यापार मार्जिन, जैसाकि आयोग द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होगा।
10. अनुज्ञप्तिधारी, समय-समय पर, यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2020 के उपबंधों तथा याचिका सं. 125/टीडी/2022 में तारीख 6.7.2022 के आदेश में यथाउपबंधित अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन करेगा।

प्राधिकार: याचिका सं. 125/टीडी/2022 में आयोग के तारीख 13.6.2022 तथा 6.7.2022 के आदेश।

के वि वि आयोग
CERC



(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

अनुज्ञप्ति की प्रति निम्नलिखित को:

- (1) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
- (2) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
- (3) सेन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

|
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव